उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 06.07.2017 को सम्पन्न हुई 32वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित प्रतिभागियों ने भाग लिया :–

1. श्री अवनीश कुमार अवस्थी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा। –अध्यक्ष
2. श्री योगेन्द्र त्रिपाठी, संयुक्त सचिव वित्त उ0प्र0 शासन, (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त) –सदस्य
3. श्री सीताराम यादव, संयुक्त सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन। (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास) –सदस्य
4. श्री राजेश प्रातप सिंह, उप सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण) –सदस्य
5. श्री मनोज कुमार मौर्य, अनु सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, आवास) –सदस्य

विशेष आमंत्रीः–

1. श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
2. श्री ए0के0 पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, यूपीडा।
3. श्री जे0पी0 सिंह, सलाहकार भू–अर्जन, यूपीडा।
4. श्री प्रिय रजंन कुमार, वित्त नियंत्रक, यूपीडा।
5. श्री ओ0पी0 पाठक, विशेष कार्याधिकारी भू–अर्जन, यूपीडा।
6. श्री बी0सी0 तिवारी, विशेष कार्याधिकारी वन, यूपीडा।
7. श्री एच0के0 चौहान, स्टाफ ऑफिसर, यूपीडा।
8. श्री के0के0 सिंह विसेन, विशेष कार्याधिकारी, यूपीडा।
9. श्री अनुप कुमार, प्रबन्धक तककनीकी, यूपीडा।
10. श्री किशोर पाण्डेय, प्रबन्धक वित्त, यूपीडा।
11. श्री प्रभात कुमार, सलाहकार, पी0पी0पी0।
12. श्री एच0एम0 त्रिपाठी, प्रभारी परियोजना निदेशक वन, यूपीडा।
13. श्री पी0एन0 टण्डन, प्रबन्धक (पर्यावरण), यूपीडा।
14. श्री पी0के0 तिवारी, (विधि सलाहकार), यूपीडा।
15. श्री एस0पी0 तिवारी, प्रबन्धक प्रशासन, यूपीडा।
16. श्री ए0के0 सिन्हा, टीम लीडर अथॉरिटी इंजीनियर।

निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा 32वीं बैठक के प्रस्तुत एजेण्डा के विभिन्न बिन्दुओं से अवगत होते हुए निम्नवत् बिन्दुओं पर अपनी सहमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 1:– **उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.05.2017 को सम्पन्न हुई 31वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल द्वारा 31वीं बैठक में प्रस्तुत कार्यवृत्त से अवगत होते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 2:–**उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के निदेशक मण्डल की दिनांक 23.05.2017 को सम्पन्न 31वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**

परियोजना निदेशक वन द्वारा 31वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु–05 पर कार्यवृत्त के निर्णय पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि–

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कन्सलटेंट के स्तर (1) सुल्तानपुर जनपद एवं गाजीपुर जनपद की संयुक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट (2) परियोजना की Three Alternate Analyses (3) Forest and Non Forest Land की अधिकृत सूचना (4) लखनऊ, सुल्तानपुर एवं बाराबंकी जनपदों के FRA Certifcate (5) Remote Sensing Agency लखनऊ से DGPS मैप बनवाया जाना आदि अभिलेख लंबित है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2017 को आयोजित बैठक में Consultant द्वारा दिनांक 10.07.2017 तक समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था किन्तु आज तक कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। Consultant द्वारा अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त प्रस्ताव का परीक्षण/जॉच नोडल अधिकारी वन विभाग/MOEF से कराया जाएगा एवं परीक्षण उपरान्त प्रस्ताव सहीं पाये जाने पर वन क्लीयरेन्स हेतु दो सप्ताह के अन्दर आवेदन ऑनलाइन निर्धारित प्रारूप पर अपलोड़ कर दिया जाएगा।

इसी प्रकार 31वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दु–09 पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में सलाहकार विधि, द्वारा निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि–

- **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट** से सम्बन्धित मुकदमों का विवरणः–

1. 121 वाद दाखिल हुयें।
2. 79 वाद यूपीडा के पक्ष में निस्तारित हुए है।
3. शेष सभी वादों में यूपीडा के तरफ से प्रति शपथ पत्र दाखिल कराया जा चुका है।

- **पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट** से सम्बन्धित मुकदमों का विवरणः–

1. 48 वाद दाखिल हुयें।
2. 27 वाद यूपीडा के पक्ष में निस्तारित हुए है।
3. कुल 21 लंबित वादों में से 12 में यूपीडा के तरफ से प्रति शपथ पत्र दाखिल कराया जा चुका है। शेष 09 वादों में 15 दिवस के भितर प्रति शपथ पत्र दाखिल करा दिया जाएगा।

उपरोक्त सभी वादों में से किसी भी वाद में आज की तिथि तक यूपीड के विरूद्ध कोई स्थगन आदेश नहीं है।

कार्यवाही/निर्णयः– निदेशक मण्डल को पूर्व कार्यवृत्त पर निदेशक मण्डल द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत कराया गया एवं निदेशक मण्डल द्वारा अनुपालन आख्या से अवगत होते हुए कृत कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की गई।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 3:–यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की अद्यतन प्रगति।

कार्यवाही/निर्णयः– यूपीडा द्वारा क्रियान्वित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रस्तुत अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा परियोजनावार निम्नवत निर्देश निर्गत किये गयेः–

क्र.सं.	परियोजना का नाम	निदेशक मण्डल का निर्णय
1	ग्रेटर नोएडा से बलिया 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना (गंगा एक्सप्रेसवे)	इस परियोजना के परिप्रेक्ष्य में हुए विचार विमर्श पर यह निर्णय लिया गया कि शासन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए शासन का मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाए।
2	गाजियाबाद से सहारनपुर होते हुए यमुना या हिन्डन नदी के तट पर मोहान्द (उत्तराखण्ड–उत्तर प्रदेश की सीमा) के समीप तक	अधिसूचना संख्या 3737/77–3–09–94भा./07टी.सी. दिनांक 24.11.2009 द्वारा इस परियोजना के स्थान पर 'अपर गंगा नहर के दायें तट पर देहरा के समीप ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश–उत्तराखण्ड सीमा (सीमा से 10 किमी0 पूर्व) तक 08–लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे' हेतु संशोधन किया गया था। अतः यह परियोजना स्वतः समाप्त हो गयी है।
3	आगरा से कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना	निदेशक मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इन परियोजनाओं को यूपीडा द्वारा क्रियान्वित किये जाने की प्रासंगिकता के विषय पर यूपीडा स्तर पर मुख्य अभियन्ता, वित्त नियंत्रक तथा भूमि अध्याप्ति प्रकोष्ट द्वारा वर्तमान परिदृष्य एवं यूपीडा/उपशा /लोक निर्माण विभाग/ एन0एच0ए0आई0 आदि द्वारा विकसित/ विकसित की जा रही सड़क परियोजनाओं के दृष्टिगत इन परियोजनाओं पर आगे कार्यवाही करने अथवा इन परियोजनाओं को निरस्त करने के सम्बन्ध में शासन के विचारार्थ पत्रालेख्य प्राधिकरण द्वारा प्रेषित किया जाये।
4	झॉसी – कानपुर– लखनऊ – गोरखपुर – कुशीनगर एक्सप्रेसवे परियोजना	
5	लखनऊ– बाराबंकी– नानपारा लिंक	
6	बिजनौर– मुरादाबाद– फतेहगढ़	
7	नरौरा से गंगा नदी के बायें तट पर उत्तराखण्ड प्रदेष की सीमा से 10 किमी0 पूर्व तक	
8	अपर गंगा कैनाल के दांये तट पर सनौटा ब्रिज (बुलन्दशहर) से उ0 प्र0 – उत्तराखण्ड सीमा के पूर्व पुरकाजी (मुजफ्फरनगर) के निकट तक 08–लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना	
9	अपर गंगा कैनाल के दॉये तट पर स्थित सनौटा ब्रिज (बुलन्दशहर) से कानपुर –फतेहपुर एक्सप्रेसवे परियोजना एवं अन्य मार्गो	
10	'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना'	इस परियोजना के सम्बन्ध में पृथक से निदेशक मण्डल द्वारा एजेण्डा बिन्दु संख्या–7 के अनुसार विचार–विमर्ष किया गया।
11	'पूर्वान्चल एक्सप्रेसवे परियोजना'	इस परियोजना के सम्बन्ध में पृथक से निदेशक मण्डल द्वारा एजेण्डा बिन्दु संख्या–7 के अनुसार विचार–विमर्श किया गया।

कार्य बिन्दु संख्या0 4:—''आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' हेतु के टोल कान्ट्रेक्टर्स के चयन, एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना तथा परियोजना की ऑक्जीलरीज़ सुविधाओं/परिसम्पत्तियों से मार्ग प्रशुल्क के अतिरिक्त वित्तीय स्रोत से अर्जन के सम्बन्ध में परामर्शी सेवा हेतु कन्सल्टेन्ट के चयन की कार्यवाही नये सिरे से किये जाने के सम्बन्ध में:—

बैठक में निदेशक मण्डल को अवगत कराया गया कि 'आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' पर टोल एकत्रित करने हेतु कान्ट्रेक्टर्स के चयन, एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना तथा परियोजना की ऑक्जीलरीज़ सुविधाओं आदि कार्यो हेतु पूर्व चयनित 'परियोजना विकास परामर्शी' मे0 फीडबैक इन्फ्रा. प्रा0लि0 की सेवायें शासनादेश दिनांक 30.12.2013 के अनुक्रम में ली जा रही थीं।

निदेशक मण्डल को यह भी अवगत कराया गया कि कालान्तर में न्याय विभाग के परामर्श के अनुरूप औद्योगिक विकास अनुभाग—3, उ0प्र0 शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1213/77—3—17—2यूपीडा/12 दिनांक 27.06.2017 द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि 'आगरा से लखनऊ प्रवेष नियंत्रित एक्सप्रेसवे (ग्रीन फील्ड) परियोजना' हेतु के टोल कान्ट्रेक्टर्स के चयन, एडवान्स्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना तथा परियोजना की ऑक्जीलरीज़ सुविधाओं/परिसम्पत्तियों से मार्ग प्रशुल्क के अतिरिक्त वित्तीय स्रोत से आय अर्जन के सम्बन्ध में परामर्शी सेवा हेतु किसी एक ही उपयुक्त परामर्शी के चयन की प्रक्रिया नये सिरे से शुरू करते हुए ''सिंगल स्टेज टू इनवलप बिडिंग सिस्टम'' (आर0एफ0क्यू0—कम—आर0एफ0पी0) के आधार बिडिंग अभिलेख जारी कर यथाशीघ्र परामर्शी का चयन किया जाये, जिससे परियोजना के शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करके एक्सप्रेसवे पर नियमित यातायात चालू कर टोल कलेक्शन भी प्रारम्भ किया जा सके।

उपर्लिखित शासनादेश दिनांक 27.06.2017 के अनुक्रम में उपर्लिखित तीनों कार्यो हेतु किसी सक्षम परामर्शी के नये सिरे से चयन करने हेतु जारी किये जाने वाले 'आर0एफ0क्यू0—कम—आर0एफ0पी0' (सिंगल स्टेज टू इनवलप बिडिंग सिस्टम) हेतु निम्नवत् 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' (TOR) तैयार कर निदेशक मण्डल के ~~अवलोकनार्थ~~/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही/निर्णय :— उपरोक्त से अवगत होते हुए सम्यक् विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा Consultancy of Supply & Installation of Advanced Traffic Management System (ATMS) तथा Consultancy of Operation & Maintenance of Toll Collection हेतु प्रस्तुत 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' (TOR) का अनुमोदन प्रदान किया गया।

(1) Ducting & Laying of optical fiber cables, (2) Operation & Maintenance of Wayside Amenities (3) Letting of Hoardings for Advertisements हेतु परामर्शी सेवाओं के लिये तैयार किये गये 'टर्म्स आफ रेफरेन्स' (TOR) के सन्दर्भ में यह अवगत कराया गया कि यूपी गर्वमेंट परामर्शी सेवायें गाइडलाइन्स 2016 एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह कार्य तीन अलग—अलग परियोजनाओं के लिये है, अतः परामर्शी सेवाओं का कुल समय 36 सप्ताह प्रस्तावित है। निदेशक मण्डल ने उपरोक्त तथ्य से अवगत होते हुए यह निर्देशित किया कि इन कार्यों के लिये प्रस्तावित Time Schedule 36 सप्ताह के स्थान पर 14 सप्ताह रखते हुए Time and Payment Schedule को यथावश्यक संशोधित कर लिया जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 5:– **आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यो हेतु यूपीडा द्वारा हुडकों से ऋण प्राप्त किये जाने की अद्यतन स्थिति।**

आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यो हेतु यूपीडा द्वारा हुडको से ऋण प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही एवं अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यो हेतु यूपीडा द्वारा हुडकों से रू0 1530.64 करोड़ का ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाएँ शासन के अनुमोदन से पूर्ण कर ली गई है, तथा हुडकों द्वारा समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के उपरान्त दिनांक 22 जून 2017 को रू0 510 करोड़ की प्रथम किश्त की राशि इस हेतु यूपीडा तथा हुडकों द्वारा पंजाब नेशनल बैंक, विपुल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में खोले गये एस्क्रो एकाउंट सं0 4483002900000062 में हुडको द्वारा अवमुक्त कर दी गई है, यह भी सूचनार्थ है कि पूर्व में 15 मार्च 2016 को हुडकों व यूपीडा के मध्य संपादित लोन–एग्रीमेंट की शर्तो के अंतर्गत हुडकों द्वारा इस राशि में से रू0 5,75,000/–लोन एप्लीकेशन शुल्क तथा (सर्विस टैक्स सहित) रू 1,15,00,000/–फ्रंट–एंड शुल्क (सर्विस टैक्स सहित) के रूप में काट लिया गया है जिससे निवल राशि रू0 5,08,79,25,000.00 मात्र उक्त एस्को एकाउंट में प्राप्त हुई है जिसका उपयोग आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यो हेतु किया जाना है, हुडकों द्वारा यूपीडा के अगामी आवश्यकताओं के आलोक में भविष्य में शेष ऋण राशि का अवमुक्तिकरण उपयुक्त किश्तों में किया जाएगा।

कार्यवाही/निर्णयः– उपरोक्त तथ्यों से अवगत होते हुए सदस्यों द्वारा कृत कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की गई। कोई कार्यवाही आपेक्षित नहीं।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 6:– **आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना' तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से आच्छादित जनपदों में परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु कृत कार्यवाही के सम्बन्ध मेंः–**

I. 'आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना' का संरेखण प्रदेश के 10 जनपदों यथा आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई व लखनऊ से होकर जा रहा है।

उक्त परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू–स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि कय किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित जनपदों में की जा रही है। बोर्ड की बैठक दिनांक, 23.05.2017 के पश्चात् अतिरिक्त भूमि क्रय करने, दर अनुमोदन व अन्य प्रकरण मा0 बोर्ड के समक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत है–

I. आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना

1. अतिरिक्त भूमि क्रय करने के सम्बन्ध में

जनपद–मैनपुरी

क्रमांक	गाटा संख्या	कुल रकबा	धारा–4 का अधिसूचित क्षे0	पूर्व में लिया गया अतिरिक्त क्षे0	धारा–4 व अतिरिक्त भूमि का कुल क्षे0	वर्तमान में अतिरिक्त भूमि का क्षे0	विषेष विवरण	अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	673	2.7480	0.6180	–	1.0430	0.4250	मीसिंग रकबा	23.06.2017

जनपद—लखनऊ

क्रमांक	जनपद का नाम	ग्राम/तहसील	गाटा सं0	गाटे का कुल क्षे0 (हे0) में	धारा-4 के अर्न्तगत अधिसूचित क्षे0 (हे0) में	पूर्व में अनुमोदित अतिरिक्त क्षे0 (यूपीडा के पत्र संख्या तथा दिनांक)	स्तम्भ-6 व 7 के अलावा संरेखण में आ रहा अतिरिक्त क्षेत्रफल (हे0) में	अनुमोदन का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	लखनऊ	आदमपुर इन्दरवारा/ सरोजनी नगर	193	0.2150	0.1260	-	0.089	28-05-2017
2		भलिया/सदर	1073	0.819	0.6040	-	0.090	
योग							0.179	

2. जनपद स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर दर अनुमोदन

जनपद-फिरोजाबाद

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	धारा-4(1)16 व धारा-6(1)16 की अधिसूचना का दिनांक	क्षेत्रफल घोषित (हे0) में	अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी क्षेत्रफल (हे0) में	वर्तमान घोषित सर्किल रेट (रू0 प्रति हे0)	आपसी सहमति के अनुसार कालम-7 की चार गुना धनराशि (रू0 प्रति हे0 में)	प्रभावित कृषकों की सं0	सहमत कृषकों की क्रमिक सं0	अनुमोदन का दिनांक
						सामान्य भूमि	सामान्य कृषि दर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आलीपुर	सिरसागंज	07.10.13/ 30.10.2014	15. 3763	0.0598	20 लाख	80 लाख	07	02	22.05.17

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	धारा-4(1)16 व धारा-6(1)16 की अधिसूचना का दिनांक	क्षेत्रफल घोषित (हे0) में	अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी क्षेत्रफल (हे0) में	वर्तमान घोषित सर्किल रेट (रू0 प्रति हे0)		आपसी सहमति के अनुसार कालम-7 व 8 की चार गुना धनराशि (हे0)		अतिरिक्ता भूमि में प्रभावित कृषकों की सं0	सहमति प्रदान करने वाले कृषकों की सं0	अनुमोदन का दिनांक
						सामान्य भूमि	आबादी के सन्निकट	सामान्य भूमि	आबादी के सन्निकट			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	सुजनीपुर	सिरसागंज	07.10.13/ 30.10.2014	6.2602	0.0402	20 लाख	25 लाख	80 लाख	100 लाख	27	05	05.06. 17

क्रमांक	ग्राम का नाम	तहसील का नाम	धारा-4(1)16 व धारा-6(1)16 की अधिसूचना का दिनांक	क्षेत्रफल घोषित (हे0) में	अतिरिक्त भूमि क्रय किये जाने सम्बन्धी क्षेत्रफल (हे0) में	वर्तमान घोषित सर्किल रेट (रू0 प्रति हे0)		आपसी सहमति के अनुसार कालम-7 व 8 की चार गुना धनराशि (हे0)		अतिरिक्त भूमि में प्रभावित कृषकों की सं0	सहमति प्रदान करने वाले कृषकों की सं0	अनुमोदन का दिनांक
						सामान्य भूमि	आबादी के सन्निकट	सामान्य भूमि	आबादी के सन्निकट			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	असलेमपुर नगला कान्हर	सिरसागंज	07.10.13/ 30.10.2014	8.5339	0.2164	20 लाख	25 लाख	80 लाख	100 लाख	13	09	06.06. 2017

II. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना

1. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का संरेखण प्रदेश के 09 जनपदों यथा लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ, मऊ व गाजीपुर से होकर जा रहा है। परियोजना हेतु भूमि उपलब्ध कराने के लिए भू-स्वामियों की आपसी सहमति से भूमि क्रय करने की कार्यवाही की जा रही है। अद्यतन स्थिति संलग्न है।

2. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना में वाराणसी लिंक मार्ग प्रस्तावित था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के परामर्शी आई.आई.डी.सी. के द्वारा पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि यूपीडा के तकनीकी अनुभाग के निर्देश के क्रम में दिनांक 06 व 07 जून, 2017 को परामर्शी द्वारा पैकेज-4 व पैकेज-5 के प्रस्तावित इन्टरचेंज का भ्रमण किया गया। तद्पोरान्त यह ज्ञात हुआ कि एक्सप्रेसवे के प्रस्तावित वाराणसी लिंक के अन्त्य बिन्दु ग्राम-कोटीला को ग्राम-भवरनाथ से जोड़ते हुए वाराणसी-आजमगढ़ (एन.एच.233/एन.एच.-28) का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। इस प्रकार वाराणसी से होने वाला परिचालन एन.एच.233 से होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक जा सकता है। इस आधार पर परामर्शी द्वारा वाराणसी लिंक के सम्बन्ध में पुनर्विचार चाहते हुए वाराणसी लिंक के लिए भूमि क्रय करने की प्रचलित कार्यवाही को स्थगित करने का अनुरोध किया गया।

जनपद-आजमगढ़ में वाराणसी लिंक मार्ग हेतु निम्न ग्रामों में भूमि क्रय करने हेतु प्रस्ताव पूर्व में प्रेषित किये गये थे-

क्रमांक	तहसील का नाम	ग्राम का नाम
1	निजामाबाद	जमालपुर मधेसिया
2		मधेसिया
3		सोफीपुर
4		लखमनपुर बदलराय
5		जमालपुर काजी
6		टेकमलपुर
7		शंकरडीह

8		खलीफतपुर तप्पा कौला
9		रानीपुर
10		जमीन कटघर
11		कटघर कबूल
12		बुढ़ान पट्टी
13		मतरानी
14		आजोरी करीम
15	सदर	हसनपुर
16		बढ़या
17		महमूदपुर
18		बर्मा
19		मदनपुर
20		कोटीला

यूपीडा के पत्र संख्या-728/यूपीडा-17/548-II दिनांक 16.06.2017 के द्वारा परामर्शी के उक्त पत्र में सम्मिलित तथ्यों के दृष्टिगत वाराणसी लिंक मार्ग के प्रयोजन हेतु पूर्व प्रेषित उपरोक्त ग्रामों के प्रस्तावों में सम्मिलित भूमि को क्रय न करते हुए समस्त वित्तीय व मानव संसाधनों को जनपद-आजमगढ़ में परियोजना के मुख्य मार्ग हेतु आवश्यक भूमि को क्रय करने पर केन्द्रित करने की अपेक्षा जनपद आजमगढ़ से की गई है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने यह भी अवगत कराया गया कि अबतक 58 प्रतिशत से अधिक भूमि क्रय की जा चुकी है।

कार्यवाही/निर्णयः— निदेशक मण्डल द्वारा भूमि क्रय की प्रगति पर संतुष्टि व्यक्त की गई अध्यक्ष महोदय, द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 90 प्रतिशत भूमि क्रय की प्रक्रिया तत्काल पूर्ण की जाए।

एजेण्डा बिन्दु संख्या0 7:– आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे परियोजना तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की अद्यतन प्रगति के सम्बन्ध में:–

मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए निदेशक मण्डल को एजेण्डा बिन्दु–7 पर निम्नवत् अवगत कराया कि–

1.1 एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक की सुरक्षा की दृष्टि से 21 स्थलों पर पुलिस चौकी के निर्माण हेतु पुलिस विभाग एवं यूपीडा द्वारा संयुक्त निरीक्षणोपरान्त चयनित स्थलों के सम्बन्ध में बोर्ड के सदस्यों को अवगत कराते हुए यह बताया गया कि यूपीडा द्वारा उपरोक्त स्थलों पर पुलिस चौकी का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। साथ ही साथ एक्सप्रेसवे की पेट्रोलिंग के लिये पुलिस विभाग को ~~24~~ 20 इनोवा एवं चार इंस्टरसेप्टर यूपीडा द्वारा क्रय करके दिये जा रहे हैं।

2 **(क),(ख)** पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का संशोधित आगणन परीक्षण हेतु पी0एफ0ए0डी0 को प्रेषित किया गया है। पी0एफ0ए0डी0 से परीक्षोपरान्त आगणन ई0एफ0सी0 के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। ई0एफ0सी0 से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् स्वीकृति हेतु मा0 मंत्रीपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना से वाराणसी लिंक, जिसकी लागत लगभग 600 करोड़ है, हटा दिया गया है क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एन0एच0–233 के उच्चीकरण से पूर्वांचल एक्स्प्रेसवे से वाराणसी हेतु लिंक उपलब्ध हो जायेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से प्रस्तावित एक अन्य अयोध्या लिंक को पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा निर्माण कराये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। आजमगढ़ से गोरखपुर तक लिंक मार्ग अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार उक्त लिंक मार्गों के हट जाने से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना की लागत कम हुई है।

3 **(ग)** मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा सदस्यों को यह बताया गया कि खनिकर्म विभाग के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री यथा कोर्स सैण्ड, सैण्ड स्टोन के लिये प्रीमियम धनराशि (रॉयल्टी के बराबर) एवं रॉयल्टी धनराशि के भुगतान के आधार पर शासन के अनुमोदनोंपरान्त क्षेत्र का यूपीडा को आवंटन उपलब्धता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे निर्माण में प्रयुक्त होने वाली साधारण मिट्टी की रॉयल्टी सम्बन्धित जिलाधिकारियों को अग्रिम जमा की जा सकती है। एक्सप्रेसवे निर्माण में प्रयुक्त होने वाले अन्य खनिज जैसे ग्रेनाइट/डोलोस्टोन की आपूर्ति बाजार से क्रय कर के ही सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। इस व्यवस्था से एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु सामग्री की लागत कम होगी तथा सामग्री निरन्तर उपलब्ध रहेगा।

कार्यवाही/निर्णय:– उपरोक्त से अवगत होते हुए निदेशक मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।

एजेण्डा बिन्दु 08– **यूपीडा के मुख्य अभियन्ता का पद नाम मुख्य अभियन्ता से प्रमुख अभियन्ता करने एवं प्रमुख अभियन्ता के पद को वेतन बैंड 37400–67000 ग्रेड वेतन 1000 में करते हुए उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में।**

निदेशक मण्डल को अवगत कराया कि वर्तमान में आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु यूपीडा के तकनीकी सेल में 01 मुख्य अभियन्ता, 01 अधीक्षण अभियन्ता, 01 अधिशासी अभियन्ता, 04 सहायक अभियन्ता एवं 01 अवर अभियन्ता (प्राविधिक) की तैनाती शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर की गयी थी, जिसके सापेक्ष श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता, श्री ए0के0 पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, अधीशासी अभिन्ता तथा 04 सहायक अभियन्ता एवं 01 अवर अभियन्ता (प्रा0) ने यूपीडा में योगदान किया। कालान्तर में हुए प्रोन्नति के फलस्वरूप श्री विश्वदीपक, मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) की प्रोन्नति मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) वेतन बैन्ड 37400–67000, ग्रेड वेतन 10,000 पर, श्री ए0के0 पाण्डेय की प्रोन्नति मुख्य अभियन्ता (स्तर–2) पर एवं श्री एन0एन0 श्रीवास्तव, अधिशासी अभियन्ता की प्रोन्नति अधीक्षण अभियन्ता पद पर हो गई है। यूपीडा के तकनीकी सेल के उक्त अधिकारी आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के निर्माण में प्रारम्भ से ही कार्यरत हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का कियान्वयन भी यूपीडा द्वारा ही किया जाना है। इस प्रकार वर्तमान में यूपीडा द्वारा दो एक्सप्रेसवे का कार्य देखा जा रहा है एवं भविष्य में भी यूपीडा द्वारा अन्य एक्सप्रेसवे के कार्य कराये जा सकते हैं। अतः कार्य हित में उचित होगा कि यूपीडा में मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) का पद सृजित कर पदनाम प्रमुख अभियन्ता का कर दिया जाये। श्री विश्वदीपक के मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) पर प्रोन्नत होने के दृष्टिगत यूपीडा में यदि मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) वेतन बैन्ड 37400–67000, ग्रेड वेतन 10,000 के पद को सृजित करते हुए पद नाम प्रमुख अभियन्ता का कर दिया जाता है तो श्री विश्वदीपक मुख्य अभियन्ता (स्तर–1) की तैनाती इस पद के सापेक्ष की जा सकती है, जिसके लिये शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार वहन नहीं करना पड़ेगा।

कार्यवाही/निर्णयः–इस सम्बन्ध में सदस्यों द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि मुख्य अभियन्ता का पद प्रमुख अभियन्ता में उच्चीकृत करने हेतु शासन को पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव प्रेषित कर शासन से (प्रशासनीक विभाग) से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, द्वारा निदेशक मण्डल के सदस्यों से पृथक–पृथक प्रस्तुत प्रस्ताव पर सुझाव आमंत्रित कियें उक्त पर सदस्यों ने निम्न् सुझाव दियेंः–

- वित्त विभाग के सदस्य श्री योगेन्द्र त्रिपाठी द्वारा सुक्षाव दिया गया कि बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव में दी गई समय सीमा (टाइम लाइन) का पूरा ध्यान रखा जाए।
- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के सदस्य श्री मनोज कुमार मौर्या द्वारा भी वित्त विभाग के सुक्षाव के अनुपालन का परामर्श दिया।
- आवास एवं शहरी नियोजन के सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि इस उदेश्य से भूमि एक्सप्रेसवे से थोड़ा हट कर क्रय की जाए जिससे भूमि का मूल्य कम भूगतान करना होगा एवं उद्योगों की स्थापना से एक्सप्रेसवे प्रभावित नहीं होगा, इसी क्रम में अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अन्तर्गत आने वाली सभी जिलाधिकारियों का सूचित कर दिया गया कि वे सर्किल रेट न बढ़ायें क्योकि सर्किल रेट बढ़ने से एक्सप्रेसवे हेतु भूमि का अधिक भूगतान करना पड़ता है जो पूर्व की आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे मे अनुभव किया गया है।

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने सदस्यों को यह भी अवगत कराया कि दिनांक 05.07.2017 को आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वन महोत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें 1,57,950 पौधों का रोपण किया गया है, एवं सामाजिक सहभागिता बढ़ाने के लिए इस अभियान में स्कूल के बच्चों को बड़ी संख्या में सहभागी बनाया गया।

अंत में माननीय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कृपया नोट शीट पृष्ट 303 से पृष्ट 313 पर स्थापित 32वीं निदेशक मण्डल की बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन करें, सहमति की दशा में अनुमोदन प्रदान करना चाहें।

6/7/17

(के०के० सिंह विसेन)
विशेष कार्याधिकारी

6/7/17

अनुमोदित 6/7/2017

अध्यक्ष